सं. ई-14011(11)/1/2020-हिन्दी/डीजीएचएस/132-173

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
(हिन्दी अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 28 /04/2022

## कार्यालय ज्ञापन

विषय: महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30 मार्च, 2022 को संपन्न हुई तिमाही बैठक के कार्यवृत्त का परिचालन।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 30 मार्च, 2022 को श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, निदेशक महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त, सूचना एवं सदस्यों द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु संलग्न है।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

(लक्ष्मी गर्ग)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी निदेशकगण (सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति) ।
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी उपनिदेशकगण (सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति)।
3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी अनुभाग/प्रभाग अधिकारी (सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति)।

प्रतिलिपि:

i. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के वरि. प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
ii. संयुक्त सचिव (आरएम),स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को सूचनार्थ।
iii. प्रभारी, आईटी प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को महानिदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

## दिनांक 30.03.2022 को अपराह्न 03.00 बजे आयोजित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2021-22 की चौथी बैठक का कार्यवृत्त

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2021-22 की चौथी बैठक पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 30 मार्च, 2022 (बुधवार) को अपराह्न 03.00 बजे श्री राजीव मांझी, संयुक्त सचिव महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष, कमरा सं. 406-ए, निर्माण भवन में आयोजित की जानी थी। किंतु अपरिहार्य कारणों से संयुक्त सचिव महोदय उक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सके और उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की जिम्मेदारी श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, निदेशक को सौंपी । इस बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक 'क' पर है । श्रीमती लक्ष्मी गर्ग, सहायक निदेशक (राजभाषा)-सह-सदस्य सचिव ने समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय से समिति की कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति मांगी ।

बैठक के आरंभ में ही अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए बताया कि 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार महानिदेशालय में हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य से कम रहा । इसे हर तिमाही में बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की है । उन्होंने समिति के सभी सदस्यों को बताया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के किसी भी राजभाषा निरीक्षण की दशा में महानिदेशालय के उच्चाधिकारियों के लिए यह अप्रिय स्थिति का कारण हो सकता है, जिसके लिए सभी सदस्य जिम्मेदार होंगे। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि अभी से ही सब राजभाषा नियमों के प्रति जागरुक होकर अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में कर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं ।

तत्पश्चात्, अनुमति प्राप्त कर बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए सहायक निदेशक (राजभाषा) ने दिनांक 20.12.2022 को आयोजित पिछली तिमाही बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी दी । उन्होंने समिति को अवगत कराया कि पिछली तिमाही के दौरान श्री संजय कटियार, उपनिदेशक द्वारा महानिदेशालय की वेबसाइट को द्विभाषी करने संबंधी भेजी गई सामग्री का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध करा दिया गया है ।

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पश्चात्, और इस पर कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर पिछली बैठक की कार्रवाई की सर्वसम्मति से पुष्टि कर दी गई ।

इसके बाद सहायक निदेशक(राजभाषा) ने महानिदेशालय के अनुभागों/एककों से प्राप्त दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट की निम्नलिखित बिंदुओं पर समीक्षा की:-

1. राजभाषा अधिनियम, 196 की धारा 3(3) का अनुपालन: सहायक निदेशक(राजभाषा) ने समिति को अवगत कराया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशकालय के सभी अनुभागों/प्रकोष्ठों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान धारा 3(3) का पूर्ण अनुपालन किया गया है। उन्होंने दोहराया कि उक्त धारा के अधीन जारी जारी होने वाले 14 दस्तावेज जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, संसद के सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज-पत्र, संविदा और करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञापत्रों, निविदा फार्म व सूचनाओं को हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ द्विभाषी रूप में जारी किया जाना न सिर्फ अनिवार्य है बल्कि बाध्यकारी भी है ।

अध्यक्ष महोदय ने इस धारा के शत-प्रतिशत अनुपालन पर सभी अनुभागों/एककों की प्रशंसा की और निदेश दिया कि सभी अनुभाग यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में भी इस धारा का कोई उल्लंघन न हो ।

(कार्रवाई: सभी अनुभाग)

2. <u>राजभाषा नियम, 1976 के निसम 5 का अनुपालन:</u> सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समिति को बताया कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी अनुभागों/एककों द्वारा इस नियम का पूर्णतया पालन किया गया है, जिसके तहत हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही देना अनिवार्य है । इस नियम के शत-प्रतिशत अनुपालन के लिए अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभागों/एककों की सराहना की ।

3. <u>मूल हिन्दी पत्राचार और फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का प्रतिशत:</u> सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अध्यक्ष महोदय को बताया कि समीक्षाधीन तिमाही के दौरान महानिदेशालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से किए गए हिन्दी में मूल पत्राचार का प्रतिशत क्रमश: 51.12, 53.85 और 57.34 था और फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का प्रतिशत 45.38 प्रतिशत था। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों को स्मरण कराया कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से हिन्दी में मूल पत्राचार का लक्ष्य क्रमश: 100%, 100% और 65% तथा फाइलों पर हिन्दी की टिप्पण का प्रतिशत 75% निर्धारित किया गया है । इसलिए, निदेशालय के मूल हिन्दी पत्राचार और फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण के प्रतिशत को लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए सामूहिक रूप से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में अपने कार्य को बढ़ाने की आवश्यकता है ।

तत्पश्चात्, सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा एक-एक कर उन अनुभागों की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई , जिनका हिंदी में मूल पत्राचार और/या फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का प्रतिशत या तो बहुत कम था, या पिछली तिमाही की अपेक्षा समीक्षाधीन तिमाही में उनके हिंदी में मूल पत्राचार और/या फाइलों पर हिंदी में टिप्पण के प्रतिशत में गिरावट देखी गई है ।

(क) सबसे पहले, प्रशासन 1-अनुभाग के हिन्दी में मूल पत्राचार में, पिछली तिमाही की तुलना में समीक्षाधीन तिमाही के दौरान आई भारी गिरावट (59.38% से गिर कर 34.63%) पर उन्होंने इसका कारण जानना चाहा । उन्होंने यह भी बताया कि समीक्षाधीन अवधि में प्रशासन-1 अनुभाग का हिन्दी में टिप्पण का प्रतिशत भी मात्र 23.11% था । श्री अरिन्दम बैनर्जी, उपनिदेशक ने अवगत कराया कि अनुभाग द्वारा अधिकाधिक कार्य हिन्दी में किए जा रहे हैं, अत: रिपोर्ट में दिये गये आंकड़ों की गणना में कोई त्रुटि प्रतीत हो रही है । इस पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि तिमाही रिपोर्ट को भेजने से पूर्व उस पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि रिपोर्ट में दिये जा रहे आंकड़े सही हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रशासन-1 अनुभाग सहित सभी अनुभागों को भविष्य में हिन्दी में पत्राचार के प्रतिशत में गिरावट नहीं होने देने का सख्त निदेश दिया ।

(कार्रवाई: प्रशासन-1 अनुभाग और श्री अरिंदम बैनर्जी)

(ख) इसके बाद सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कुष्ठ अनुभाग की रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए बताया कि यद्यपि कुष्ठ अनुभाग द्वारा समीक्षाधीन तिमाही के दौरान हिन्दी में किए गए मूल पत्राचार का प्रतिशत लगभग 61% था, परंतु फाइलों पर हिन्दी की टिप्पण का प्रतिशत मात्र 6 % है । इस पर अध्यक्ष

महोदय ने कुष्ठ अनुभाग से जानना चाहा कि लगभग 61% मूल पत्राचार के लिए मात्र 6% प्रतिशत टिप्पण कैसे हो सकती है। उन्होंने कुष्ठ अनुभाग को निदेश दिया कि वे हिन्दी टिप्पणी के प्रतिशत की पुन: जांच करें और इसे बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास करें और आवश्यकता होने पर हिंदी अनुभाग की भी सहायता ली जा सकती है।

(कार्रवाई: कुष्ठ अनुभाग)

(ग) तत्पश्चात, रोकड़-2 अनुभाग की रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बताया कि पिछली तिमाही की तरह ही रोकड़-2 अनुभाग द्वारा समीक्षाधीन तिमाही के दौरान हिन्दी में किए गए मूल पत्राचार और फाइलों पर हिन्दी की टिप्पणी का प्रतिशत क्रमश: 22.77% और 11.89% था जो कि निर्धारित लक्ष्य से अत्यंत कम है। अध्यक्ष महोदय ने रोकड़-2 अनुभाग को सख्त निदेश दिया कि वे हिन्दी में मूल पत्राचार और टिप्पण के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास करें और अगली तिमाही में हिन्दी में मूल पत्राचार और टिप्पण के प्रतिशत में वृद्धि होनी चाहिये। ऐसे कार्यों को चिन्हित किया जाए जिन्हें हिंदी में किया जा सकता है। उन्होंने श्री जेड.ए. खां, उपनिदेशक से अनुरोध किया कि वे इस संबंध में यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करें।

(कार्रवाई: रोकड़-2 अनुभाग और श्री जेड.ए. खां, उपनिदेशक)

(घ) फिर, सहायक निदेशक(राजभाषा) ने समिति का ध्यान उन अनुभागों की ओर आकर्षित किया जिनका हिन्दी में मूल पत्राचार और फाइलों में टिप्पण का प्रतिशत समीक्षाधीन तिमाही के दौरान अत्यंत कम रहा। सबसे पहले उन्होंने सीबीएचआई पर चर्चा करते हुए कहा कि समीक्षाधीन तिमाही के दौरान सीबीएचआई का हिन्दी में मूल पत्राचार और फाइलों में हिन्दी में टिप्पण का प्रतिशत शून्य रहा है। सीबीएचआई की ओर से बैठक में उपस्थित श्री बी.के. मिश्रा, उपनिदेशक और अनुभाग अधिकारी का कार्य देख रहे श्री अरविंद कुरील, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी से इसका कारण पूछा गया। श्री बी.के. मिश्रा, उपनिदेशक ने बताया कि उनके यहां से हिन्दी के पत्र भेजे जाते हैं और उदाहरण के लिए हिन्दी पत्रों की प्रति भी दिखाई। उन्होंने कहा कि उनके यहां रिपोर्ट भरने में समस्या हो रही है। इस पर सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समिति को अवगत कराया हिन्दी अनुभाग द्वारा समय-समय पर तिमाही रिपोर्ट भरने संबंधी कार्यशालाएं आयोजित की जाती रही हैं। अभी हाल ही में भी इसी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था, परंतु इसमें सीबीएचआई से किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था।

अध्यक्ष महोदय इस पर संज्ञान लेते हुए सीबीएचआई को राजभाषा नियमों के प्रति कोई कोताही न बरतने का सख्त निदेश दिया। साथ ही हिन्दी अनुभाग को निदेश दिया कि जल्द से जल्द सीबीएचआई का राजभाषा निरीक्षण किया जाए।

(कार्रवाई: सीबीएचआई और हिन्दी अनुभाग)

(ङ) इसके बाद, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बताया कि सीएचईबी द्वारा पिछली तिमाही की तरह ही समीक्षाधीन तिमाही के दौरान भी हिन्दी मूल पत्राचार का प्रतिशत अत्यंत कम (17.42%) था जबकि समीक्षाधीन अवधि में हिन्दी टिप्पण का प्रतिशत 33.33% था। उन्होंने अध्यक्ष महोदय को अवगत

कराया कि सीएचईबी द्वारा उन्हें सूचित किया गया है कि उनकी भी आज ही तिमाही बैठक हो रही है जिसकी वजह से उनका कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय को बताया कि सीएचईबी का दिनांक 30 मार्च, 2022 को ही राजभाषा निरीक्षण किया गया है और सीएचईबी की निदेशक महोदया को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है और हिन्दी में मूल पत्राचार और फाइलों पर हिन्दी टिप्पण को बढ़ाने संबंधी यथोचित जानकारी दे दी गई है।

(कार्रवाई: सीएचईबी)

(च) सहायक निदेशक(राजभाषा) ने इसके बाद एमजी अनुभाग की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा की। एमजी अनुभाग द्वारा समीक्षाधीन तिमाही के दौरान हिन्दी में किए गए मूल पत्राचार और फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का प्रतिशत क्रमश: 9.09% और 6.98% था जो कि निर्धारित लक्ष्य से अत्यंत कम है। सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि हिन्दी अनुभाग द्वारा एमजी अनुभाग को पहले ही नेमी प्रकार के पत्राचार का हिन्दी अनुवाद करके उपलब्ध कराया गया है ताकि वे उस में अपेक्षित परिवर्तन करके हिंदी में अपने मूल पत्राचार को बढ़ाएं। इस पर उनके अनुभाग की प्रतिनिधि ने बताया कि हिन्दी अनुभाग द्वारा इमेल पर भेजा गया अनुवाद ठीक से खुल नहीं रहा है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने उनसे जानना चाहा कि यदि इमेल ठीक से नहीं खुला या कोई कठिनाई हुई, तो तुरंत हिन्दी अनुभाग से संपर्क क्यों नहीं किया गया और इस बैठक का क्यों इंतजार किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने सख्त निदेश दिया कि हिन्दी में मूल पत्राचार और टिप्पण के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तत्काल सक्रिय होकर गंभीरता से प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने श्री संजय कटियार, उपनिदेशक को भी इस संबंध में यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया।

(कार्रवाई: एमजी अनुभाग और श्री संजय कटियार, उपनिदेशक)

(छ) सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समिति को अवगत कराया कि शेष अनुभागों के हिंदी में कार्य के प्रतिशत में निरंतर कुछ न कुछ वृद्धि हो रही है। केवल कुछ अनुभागों के कारण महानिदेशालय के समेकित प्रतिशत में वांछित वृद्धि नहीं हो पा रही है। उन्होंने सभी अनुभागों, विशेषकर उन अनुभाग से जिनका प्रतिशत अत्यंत कम है, से पुन: अनुरोध किया कि निदेशालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में वे सब अपना सार्थक योगदान दें। अध्यक्ष महोदय ने भी सभी सदस्यों को निदेश दिया कि हिंदी के प्रतिशत में वांछित वृद्धि न होने के कारण किसी अप्रिय स्थिति होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

समीक्षा के पश्चात्, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समिति को अवगत कराया कि संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा अप्रैल, 2022 माह में महानिदेशालय के अधीनस्थ सफ़दरज़ंग अस्पताल, नई दिल्ली और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली का राजभाषा निरीक्षण किया जाएगा। उक्त निरीक्षणों में दोनों अस्पतालों के अध्यक्ष के साथ-साथ महानिदेशालय से श्री राजीव मांझी, संयुक्त सचिव तथा मंत्रालय के उच्चाधिकारी भी भाग लेंगे। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा महानिदेशालय का भी राजभाषा निरीक्षण किया जा सकता है, जिसमें समिति के समक्ष स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक महोदय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निदेशालय में हिंदी के प्रयोग संबंधी ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। अत: इसके लिए हमें अभी

से तैयारी करनी चाहिए ताकि समिति के राजभाषा निरीक्षण के दौरान किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभी अनुभाग नियमानुसार अपना सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करना शुरू कर दें ताकि महानिदेशालय के हिंदी में मूल पत्राचार और फाइलों पर टिप्पण के प्रतिशत में हर तिमाही में वृद्धि सुनिश्चित हो। साथ ही उन्होंने हिन्दी अनुभाग को निदेश दिया कि सभी निदेशकों को संयुक्त सचिव महोदय की ओर से पत्र जारी कर उक्त स्थिति से अवगत करा दें।

(कार्रवाई: सभी अनुभाग)

4. <u>महानिदेशालय में स्थापित जाँच-बिंदुओं की समीक्षा-</u> बैठक की कार्यसूची की अगली मद, अर्थात् महानिदेशालय में स्थापित राजभाषा संबंधित जांच-बिंदुओं द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा पर चर्चा प्रारंभ करते हुए हुए सहायक निदेशक(राजभाषा) ने समिति को बताया कि महानिदेशालय में राजभाषा संबंधित जांच बिन्दुओं की स्थापना का आदेश वर्ष 2019 में जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं अनुभागों को जांच बिन्दु बनाया गया है। उन्होंने सभी जांच बिन्दुओं से अनुरोध किया कि वे सक्रिय हो कर अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करें। उन्होंने विशेष रूप से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच-बिन्दु स्वरूप हस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे कि भविष्य में भी उक्त नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते रहें क्योंकि इन नियमों के संबंध में कोई भी उल्लंघन होने की स्थिति में उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुपालन हेतु निर्धारित जांच बिन्दु के रूप में अनुभाग अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि वे उक्त नियम का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही हिंदी पुस्तकों की खरीद पर नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करने के लिए बतौर जांच बिन्दु के रूप में स्थापित पुस्तकालयाध्यक्ष, एमएमएल से अनुरोध किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि पुस्तकालय को दिए गये अनुदान से चिकित्सा/तकनीकी जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों पर व्यय को छोड़कर, व्यय की गई शेष राशि की 50% राशि हिन्दी ई-पुस्तकों, सीडी/डीवीडी, पेन-ड्राइव सहित हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर सुनिश्चित करें। द्विभाषी वेबसाइट सुनिश्चित करने के लिए बतौर जांच बिन्दु होने के कारण, प्रभारी अधिकारी, आईटी प्रकोष्ठ से अनुरोध किया गया कि वे तत्काल सुनिश्चित करें कि महानिदेशालय की वेबसाइट पूरी तरह से द्विभाषी हो गई है और उनका हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ अपडेट हो रहा है। इस पर श्री संजय कटियार, उपनिदेशक ने बताया कि वेबसाइट की शेष सामग्री भी अनुवाद हेतु भेज दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय ने सभी जांच-बिन्दुओं को निदेश दिया कि वे अपने दायित्व को पूर्ण रूप से निभाएं ताकि उनका कोई उल्लंघन न हो।

(कार्रवाई: सभी अनुभाग और जांच-बिन्दु)

5. <u>राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) पर महानिदेशालय की मौजूदा स्थिति की समीक्षा:</u> सहायक निदेशक(राजभाषा) ने इस विषय पर चर्चा के प्रारंभ में बताया कि दिनांक 26 अगस्त, 2020 को जारी एक आदेश के तहत निदेशालय के जिन 12 अनुभाग, नामत: <u>प्रशासन-1, प्रशासन-2, सामान्य, रोकड़-1, रोकड़ -2, आरडी प्रकोष्ठ, पीएच(आईएच), प्रशासन एवं सतर्कता, संगठन एवं पद्धति, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय,</u>

ईपीआई और कुष्ठ अनुभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत अपना शासकीय कार्य हिन्दी में करने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है, उन्हें अपना अधिकांश कार्य हिंदी में ही करना चाहिये । उक्त आदेश में ही उपर्युक्त 12 अनुभागों में कार्यरत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कुल 40 अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूपण और उनके नामों के समक्ष उल्लिखित विषय से संबंधित सभी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में ही करने का निदेश दिया गया है, वे इन निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के तहत महानिदेशालय के उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अनुभागों और अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेश दिया कि वे अपने निर्धारित कार्य मे राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करने में कोई कोताही नहीं करेंगे ।

अंत में, अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को अपना सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए पुन: इस बात को दुहराया कि यह अत्यावश्यक है कि हम सब राजभाषा नियमों के प्रति जागरूक होकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करें । सभी के सहयोग से ही निदेशालय में हिंदी में कामकाज के प्रतिशत में वृद्धि संभव है । उन्होंने सभी अनुभाग अधिकारियों से तिमाही रिपोर्ट समय पर और सही तरीके से भर कर भेजने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी को हिंदी में कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो वे हिन्दी अनुभाग से तुरंत सलाह और सहयोग लें। उन्होंने उम्मीद जताई की राजभाषा संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति में सभी अपना सक्रिय और सार्थक योगदान देंगे।

अंतत:, धन्यवाद प्रस्ताव के साथ तिमाही बैठक का समापन हुआ ।

*******

अनुलग्नक 'क'

# स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30.03.2022 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित तिमाही बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों/अधिकारियों की सूची

| क्रम सं. | नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री) | अनुभाग/प्रभाग/प्रकोष्ठ का नाम |
|---|---|---|
| 1 | चंद्रशेखर प्रसाद, निदेशक एवं अध्यक्ष | स्वा. सेवा महानिदेशालय |
| 2 | वी. प्रसाद, उपनिदेशक | स्वा. सेवा महानिदेशालय |
| 3 | जुबैर अहमद खां, उपनिदेशक | स्वा. सेवा महानिदेशालय |
| 4 | बी.के. मिश्र, उपनिदेशक | सीबीएचाई |
| 5 | अरिंदम बनर्जी, उपनिदेशक (प्रशासन) | स्वा. सेवा महानिदेशालय |
| 6 | संजय कटियार, उपनिदेशक | स्वा. सेवा महानिदेशालय |
| 7 | विलियम वी. जरमी, अनुभाग अधिकारी | सामान्य |
| 8 | जॉन्सन, अनुभाग अधिकारी | रोकड़-1 एवं 2 |
| 9 | भास्कर सान्याल, अनुभाग अधिकारी | पीएचसीडीएल |
| 10 | मुकेश कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी | एम.एच.-2 |
| 11 | हेमलता सिंह, अनुभाग अधिकारी | ईपीआई और ओएंडएम/आरटीआई |
| 12 | सुमित शर्मा, एसएसओ | एमएच-1 |
| 13 | अरविन्द कुमार कुरील, वरि. सां. अधिकारी | सीबीएचआई |
| 14 | सोमवीर, वरि.सां. अधिकारी | एमई अनुभाग |
| 15 | मनजीत सिंह, सहा. अनुभाग अधिकारी | गैर संचारी रोग |
| 16 | भूमा खत्री, सहा. अनुभाग अधिकारी | एमजी अनुभाग |
| 17 | दलबीर सिंह, पुस्तकालय सहायक | रा. आ. पुस्तकालय |
| 18 | सतीश कुमार, क्षेत्रीय सहायक | कुष्ठ अनुभाग |
| 19 | काशीनाथ, सहा. अनुभाग अधिकारी | सीडीएससीओ |
| 20 | लक्ष्मी गर्ग, सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं सदस्य सचिव | हिन्दी अनुभाग |
| 21 | अजीत हंसदा, वरि. अनुवाद अधिकारी | हिन्दी अनुभाग |
| 22 | विशाखा बिष्ट, वरि. अनुवाद अधिकारी | हिन्दी अनुभाग |
| 23 | शालिनी खंडेलवाल, वरि. अनुवाद अधिकारी | हिन्दी अनुभाग |
| 24 | पी.के. झा, कनि. अनुवाद अधिकारी | हिन्दी अनुभाग |
| 25 | एस.डी. शर्मा, सहा. अनुभाग अधिकारी | हिन्दी अनुभाग |